लाल सेना सक्रिय है। बिहार की राजधानी पटना के चारों ओर ये सेनाएं बहुत ही जोर से सक्रिय हैं। सामाजिक तनाव के फलस्वरूप आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। सामाजिक तनाव अवैध हथियारों एवं अपराध प्रवृत्ति का भी जनक है। अतः उपसभापति महोदया, भारत सरकार को इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध हथियारों के जमाव को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाये, सामाजिक तनाव को दूर करने में बिहार सरकार को सहयोग दें तथा गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने की चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं।

Demand for Liberalisation of Gold Control Act to check smuggling of gold

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : उपसभापति महोदया, देश में सोने की तस्करी को असरकारक ढंग से रोकने संबंध सोने के आभूषणों को अधिकतम सीमा में विदेश में निर्यात करने तथा स्वर्ण भावों को तथा मांग को कम करने तथा देश की स्वर्ण आवश्यकता को संतुष्ट करने में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम निष्फल हुआ है।

महोदया, देश की स्वर्ण मांग 150 टन की है जिसमें 140 टन सोना अलंकार बनाने, 9 टन इन्फलेशन रोकने संबंधी तथा 1 टन औद्योगिक हेतुओं के लिए होता है। इसकी अपेक्षा आपूर्ति में देश में 160 टन सोना तस्करी से विदेशों से आता है। 48 टन सोना लोगों से रीसाइकल होकर आता है और सिर्फ दो टन ही सोना देश में उत्पन्न होता है। जबकि रिजर्व बैंक के पास 325 टन सोना का स्टाक है जबकि लोगों की निजी संपत्ति में 10 हजार टन सोना होने का अंदाज है। महोदया, तस्करी का सोना जो कस्टम पकड़ता है वह सिर्फ 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है। पिछले दो वर्षों में सोने के 10 ग्राम के दाम 3000/-रुपये पर स्थिर हैं। इसलिए कि देश में सोने की आपूर्ति बढ़ी हैं। किन्तु चिंताजनक बात यह है कि देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय सोने के बाजार दाम का अंतर विस्तृत होता जा रहा है और सितम्बर में यह भाव 63 प्रतिशत की मात्रा में बढ़ा है जिससे देश में स्वर्ण तस्करी और अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है।

महोदया, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अमलीकरण ने 10 हजार जितने स्वर्णकार या लाइसेंस डीलरों ने अत्यंत सहन किया है जिससे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात पर एक विपरीत असर हुआ है और इसकी अपेक्षा जब हम इसके अंदर मार्केट में इंटरनेशनल नहीं गए दे इसकी वजह से हांगकांग, सिंगापुर, ताईवान, थाईलैंड तथा चीन जैसे केन्द्रों को अधिक मात्रा में विकास करने का अवसर मिल है। महोदय, जब स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की कोई अधिक उपयोगिता अब बाकी नहीं रह जाती है तब इसमें आमूल परिवर्तन करके राहत प्रदान की जानी अति आवश्यक है और महोदया, मैं आपके माध्यम से इसकी मांग करता हूं और इसकी वजह से सोने के भंडारों को विशाल स्तर पर निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। महोदया, सिर्फ मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूं कि सिर्फ गुजरात के स्वर्णकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपयों के स्वर्ण अलंकार विदेशों में निर्यात करते है। इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से यह सरकार से मांग करता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में परिवर्तन करके अनिवासी भारतीयों को प्रति व्यक्ति एक हजार ग्राम तथा टूरिस्टों को 300 ग्राम स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय दर पर 25 प्रतिशत ड्यूटी भर कर सोना आयात करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं। धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Deputy Chairman, I associate myself with the special mention made by the hon. Member...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No speech. Only one sentence will do.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am not making a speech. When the Gold Control Order is relaxed, the Government will get foreign exchange and smuggling of gold from other countries can be stopped to the extent of 100 Kg. every year.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं भी स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में परिवर्तन चाहती हूं।